

Revised Book Sr. AO  
& corrigendum

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35]

नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941

No. 35]

NEW DELHI, AUGUST 25—AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3—BHADRA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 267.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) समूह 'ग' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर - समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

<p>equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: <b>Essential:</b> (i) Doctorate in Geography or Geology from a recognised university. (ii) Ten years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo-Spatial Technologies in executive or faculty position. <b>Desirable:</b> Knowledge of modern techniques of preparing thematic maps and exposure to web mapping technology or experience in handling map server. <b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. <b>Note 2:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

[F. No. SM/01/10/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

**सा.का.नि.276.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन( ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—  
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या  
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी सहित है) / प्रोन्नति): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या शोध संस्था के अधिकारी। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो: या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)

	<p>या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री: (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में लेखा, प्रशासन, स्थापन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> ऐसे विभागीय प्रशासनिक अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो, के संबंध में बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्रण संगठन – अध्यक्ष	
2. संबंधित संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य	
3. संबंधित निदेशक/उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य	

[फा. सं. एस एम/01/18/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 2019

**G.S.R.276 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

- Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix or pay scale.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—**No person, –  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Administrative Officer	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 Years for promotees	By composite method (deputation (Including Short-term Contract) plus promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(11)	(12)	(13)
By composite method (deputation (Including Short-Term Contract) plus promotion): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department;	<b>Group 'A' Promotion Committee consisting of:</b> (i) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman (ii) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (iii) Director/Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

<p>or  (iii) with three years' service rendered after appointment to the post on the regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department;  and  (b) possessing the following educational qualification and experience:  (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute;  (ii) three years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental Administrative Officers in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in that grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on Deputation basis is considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of Deputation (Including Short Term Contract) including period of Deputation (Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by Deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. SM/01/18/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37]

नई दिल्ली, सितम्बर 8— सितम्बर 14, 2019, शनिवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1941

No. 37]

NEW DELHI, SEPTEMBER 8— SEPTEMBER 14, 2019, SATURDAY/BHADRA 17— BHADRA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

**सा.का.नि.281.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद (प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि.282.**—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतद्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 276, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है:-

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 3 के इन शब्दों “जिन्हें अधिक्रमण” को “जिन्हें ऐसे अधिक्रमण” पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 के इन शब्दों “आयु-सीमा और अर्हताएं” को ‘आयु-सीमा, अर्हताएं’ पढ़ा जाए

अनुच्छेद 5 की पंक्ति 2 के शब्द ‘वहाँ’ को ‘वह’ पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 3 की प्रविष्टि को ‘साधारण केन्द्रीय समूह ‘क’ राजपत्रित, अननसचिवीय के स्थान पर ‘साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ‘क’ राजपत्रित, अननसचिवीय’ पढ़ा जाए

[फा. सं. एसएम/01/18/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th September, 2019

**G.S.R. 282.**—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 276 dated 11th July, 2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated August 25-31, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019:-

- (1) In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words ‘Group ‘A’ Promotion Committee consisting of :’ may be read as ‘Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee consisting of:’.

[F. No. SM/01/18/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि.283.**—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतद्वारा भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 275, दिनांक 10 मई 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है :-

अनुच्छेद 2 की पंक्ति 2 में ‘वह होगा’ के स्थान पर ‘वह होंगे’ पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 में ‘और अर्हताएं’ के स्थान पर ‘और अन्य अर्हताएं’ पढ़ा जाए

अनुच्छेद 6 की पंक्ति 3 में ‘और अन्य’ के स्थान पर ‘अन्य’ पढ़ा जाए



अनुसूची के स्तंभ (3) में 'साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अनुनसचिवीय' के स्थान पर 'साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 4 में 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)' के स्थान पर 'स्तर-12 (78800-209200 रु.)' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 11 में टिप्पण की पांचवीं पंक्ति में 'ऐ' के स्थान पर 'ऐसे' पढ़ा जाए

[फा. सं. एस एम/01/10/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि.284.**—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एतद्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 274 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धि करता है:-

पैरा संख्या 5- शिथिल करने की शक्ति के दूसरे उप पैरा के रूप में मुद्रित उप पैरा को पैरा संख्या 4 निरर्हता के (ख) उपखण्ड के नीचे अन्तिम उप पैरा के रूप में प्रतिस्थापित करे तथा इस उप पैरा की पंक्ति 2 में शब्द 'यह' को 'वह' पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 1 में शब्द 'अनुक्षेद' और पदत्त को 'अनुच्छेद' और प्रदत्त पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 2 में शब्द 'वातें' को 'बातें' पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 4 (क) उपखण्ड की पंक्ति 1 में शब्द 'पत्नि' को 'पत्नी' पढ़ा जाए, उपखण्ड (ख) की पंक्ति 1 में शब्द 'जीवित' को 'जीवित' पढ़ा जाए तथा उपखण्ड (ख) के नीचे मुद्रित शब्द 'नियुक्ति' को 'नियुक्ति' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 3 में शब्द 'साधारण केन्द्रीय समूह' को 'साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 11 के अंतर्गत उपखण्ड (ख) के शब्द 'अनुभव हो' को 'अनुभव रखते हो' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 12 के बिन्दु 2 की पंक्ति 1 के शब्द 'वैज्ञानिक' को 'वैज्ञानिक' पढ़ा जाए।

[फा.सं. एस एम/1/20/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव